न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारीः श्रीमती रीना छिम्पा {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 8/2019

1. मलूक सिंह पुत्र मोतीराम जाति बावरी निवासी चक 59एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. अवतार सिंह पुत्र मोतीराम जाति बावरी निवासी चक 59एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. जगतार सिंह पुत्र मोतीराम जाति बावरी निवासी चक 59एफ तहसील श्रीकरणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. चनन सिंह पुत्र रामदेवा जाति बावरी निवासी चक 59एफ तहसील श्रीकरणपुर।
2. गीता पत्नी भाग सिंह जाति बावरी निवासी चक 59एफ तहसील श्रीकरणपुर।
3. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 26/3/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 59एफ का मु.न. 11 के 25 बीघा नहरी व चक 62 एफ के मु. न. 48 की 12 बीघा 10 विस्वा भुमि रामदेवा, र, बिरमा, पिसरान जुम्मा सिंह जाति बावरी निवासी 59 एफ को वहिस्सा बराबर सरकार द्वारा आवंटित की ई थी जिसकी समस्त किश्ते तीनों भाइयों ने सयुक्त रूप से राजकोष में जमा करवाई थी। इन दोनों चको 59 फ बी की 25 बीघा भूमि व 62 एफ की 12 बीघा 10 विस्वा भूमि का बटवारा तीनों भाइयों ने न्यायालय आरओ श्री गंगानगर के समक्ष आपस में सहमति से निम्न प्रकार कियाः-

1. रामदेव व ईश्र का हिस्साः- चक 59 एफ बी का मु. न. 11 के 25 बीघा वहिस्सा बराबर।
2. बिरमा का हिस्साः- चक 62 एफ के मु.न. 48 के 12 बीघा 10 विस्वा ।

इस घरू बटवारा अनुसार तीनों भाई इस भूमि को काश्त करने लगें एवं इसी अनुसार जमावन्दी सम्वत 2053 तैयार की गई। जमाबन्दी सम्वत 2053 के बाद जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 2060 तैयार करते समय चक 59 एफ बी के मु.न. 11 के 5.452 है. भूमि में सहवहन से ईश्र का नाम दर्ज होने से रह गया एवं यह भूमि अकेले रामदेवा के नाम दर्ज हो गई ईश्र अविवाहित ही मर गया और जिसकी सारसभाल ता जिन्दगी प्रार्थीगण के द्वारा की गई जिससे खुश होकर ईश्र ने अपने हिस्से व कवजा की मु.न. 11 की अपने भूमि काश्त करने लगे। ईश्र सिंह की मृत्यू के बाद वसीयत के अनुसार प्रार्थीगण को ईश्र सिंह के हिस्से की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि का हक प्राप्त हो चुका है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने एक वाद मलूक सिंह आदि बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 125,136 आरटीए इसी न्यायालय में राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने हेतु पेश कर रखा है जो विचाराधीन है। रामदेवा पुत्र जुम्मा सिंह की मृत्यू हो चूकी है। अप्रार्थी संख्या 1 रामदेवा का वारिस है। विवादित भूमि जिसमें मृतक ईश्र सिंह का हिस्सा भी शामिल है, रामदेवा के वारीसान इस मु .न. 11 की 5.452 है. भूमि को बेचान करने को उतारू है। जिसके वह अधिकारी नहीं है यदि उन्होंने विवादित भूमि मु.न. 11 की 5.452 है. भूमि का बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। एवं वाद संख्या 37/2008 अनवान मलूक सिंह बनाम सरकार का उदेश्य की समाप्त हो जाऐगा। प्रथम दृष्टया वाद साबित होता है। सुविधा का संतुलन तथा राइट एवं टाइटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे की मूलवाद के निर्णय तक वादगत भूमि चक 59 एफ बी के मु.न. 11 की 5.452 है. भूमि को किसी भी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा भूमि में खडे वृक्षों को नहीं काटे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई गई अप्रार्थी के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार मद संख्या 1 जिस प्रकार लिखी है, से इन्कार है। सही यह है कि चक 59 एफ की मु. न. 11 की 21 बीघा 11 विस्वा भूमि रामदेवा को अवंटित आवंटित हुई थी जिसकी तमाम किश्ते रामदेवा एवं उनके वारीसान के द्वारा जमा करवाई गई थी।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

संख्या 2 जिस प्रकार लिखी गई है अस्वीकार है सही यह है कि ऐसा कोई बटवारानामा रामदेवा आदि मध्य कभी भी अमल में नहीं आया। वादगत भूमि रामदेवा के वारीसान तथा उनके द्वारा किए गए बेचान अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है। मद संख्या 3 गलत अकिंत होने के कारण अस्वीकार मद संख्या 4 इस हद तक स्वीकार है कि ईश्वर सिंह अविवाहित ही मर गया शेष कथन अस्वीकार है। र्थीगण के द्वारा कथित वसीयत माननीय दिवानी न्यायालय श्री करणपुर द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका इस कारण वर्तमान में तथा कथित वसीयत प्रभावशाली नहीं रह गई है प्रार्थीगण द्वारा इन महत्वपूर्ण तथ्यों छुपाते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 इस हद तक स्वीकार है कि र्थी सख्या 1 रामदेवा के 6 वारीसो में से एक है शेष मद गलत होने के कारण अस्वीकार है। रामदेवा के वारीस गुरदयाल सिंह के वारीसान आदि द्वारा अपने हिस्से की भूमि 3 बीघा 12 बिस्वा को बेचान ांक 22.03.2007 को पंजीकृत बैयनामा से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में कर दिया था जिसका खरीद की ांक से इस भूमि पर कबजा काश्त चला आ रहा है। शेष भूमि पर रामदेवा के अन्य वारीसान काविज है। संख्या 6 गलत होने के कारण अस्वीकार है प्रथम दृष्टाय मामला, सुविधा का संतुलन एवं राइट एण्ड टल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता हैं। प्रार्थीगण के पिता की ओर से एक वादपत्र अनवान सिंह बनाम लाभ सिंह आदि बाबत विनिर्दिष्ट पालना का पेश किया था कि उसके द्वारा रामदेवा के ास गुरदयाल सिंह के पुत्र लाभ सिंह से उसके हिस्से की 5 बीघा भूमि खरीद की गई है। इस प्रकार तथ्य स्वीकार करने के बाद प्रार्थीगण यह कहने में सक्षम नहीं है कि रामदेवा की स्वय की केवल 12 बीघा 10 स्वा भूमि बनती है और शेष भूमि ईश्वर की है। वादपत्र केवल रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया है जबकि वाद कोई घोषणा नहीं चाही है। इसलिए स्थगण प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज या जावे। जवाब प्रार्थना पत्र के साथ सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द या गया।

बहस सुनी गई वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए र्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया वकील अप्रार्थी के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अकिंत यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण के द्वारा चक 59 एफबी के मु.न. की 5.452 है. नहरी भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र में न किया गया है कि इस वादगत भूमि में सहवन से ईश्वर का नाम दर्ज होने से रह गया इसलिए यह भूमि केले रामेदवा के नाम दर्ज हो गई ईश्वर सिंह अविवाहित फौत हुआ था जिसकी सार संभाल प्रार्थीगण के ा की गई थी जिससे खुश होकर ईश्वर सिंह ने अपनी हिस्सा व कब्जा की भूमि की वसीयत प्रार्थीगण के में की थी। जिस पर उनका कबजा काश्त है। अप्रार्थीगण इस भूमि को बेचान करने को उतारू है लिए उनको स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जवाब में अकिंत किया कि वादगत भूमि अकेले रामदेवा को आवटन हुई थी। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा ई आवंटन आदेश पेश नही किया है कि जिससे वादगत भूमि ईश्वर सिह व रामदेवा को बहिस्सा बराबर ावंटन हुई हो। प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दूओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सतुलन वं राईट एण्ड टाईटल पर विचार किया गया। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं राइट एण्ड टाइटल प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर मूलवाद के साथ सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 26/3/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner